सं. 36033/4/97-स्था.(आरक्षण)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : जुलाई 25, 2003

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के समुदाय तथा उनके सम्पन्न वर्ग के नहीं होने की स्थिति का सत्यापन ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि यह प्रश्न उठा है कि सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की वैधता की अवधि क्या हो । अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र के दो भाग होते हैं । इस प्रमाण-पत्र का पहला भाग यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में सूचीबद्ध किसी समुदाय का है, जिसे प्रमाण-पत्र जारी किया गया है और इस प्रमाण-पत्र का दूसरा भाग यह दर्शाता है कि वह पिछड़ों में सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेअॅर) का नहीं है । किसी उम्मीदवार के किसी अन्य पिछड़े वर्ग का होने की स्थिति तभी बदल सकती है, जबकि उसका समुदाय, अन्य पिछड़े वर्गों की सूची से बाहर निकाल दिया जाए, किन्तु उसके सम्पन्न वर्ग का होने या नहीं होने की स्थिति किसी भी समय बदल सकती है । इसके मद्देनज़र, अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र की वैधता की कोई निश्चित अवधि तय कर पाना संभव नहीं है ।

2. अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के रूप में आरक्षण चाहने वाले प्रत्येक उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 15.11.1993 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) में उल्लिखित किसी प्राधिकारी द्वारा जारी, अपनी 'अन्य पिछड़े वर्ग का होने की स्थिति' और 'सम्पन्न वर्ग का नहीं होने की स्थिति' के बारे में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे । जैसा कि उपर्युक्त पैरा में इंगित किया गया है, उम्मीदवार के किसी 'अन्य पिछड़े वर्ग का होने की स्थिति' और/अथवा उसके 'सम्पन्न वर्ग का नहीं होने की स्थिति', उपर्युक्त प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद बदल सकती है और उसे आरक्षण का अपात्र बना सकती है । यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों से, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण - पत्र के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रपत्र में

.....2/-

अधिकारिक उद्घोषणा करवा ली जाए कि आरक्षण प्राप्त करने के अपात्र उम्मीदवार आरक्षण का लाभ लेने का प्रयास नहीं करें :

''मैं.....पुत्र/पुत्र श्री.....निवासी ग्राम/क़स्बा/ शहर.....ज़िला.....राज्य..... एतद्द्वारा यह घोषित करता/ करती हूँ कि मैं .....समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) में निहित आदेश के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से भारत-सरकार द्वारा एक पिछड़े वर्ग के रूप में मान्य है। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम-3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ ।''

3. अन्य पिछड़े वर्गों को देय आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले नियोक्ता प्राधिकारी, उसके द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़े वर्ग के किसी समुदाय के प्रमाण-पत्र की सच्चाई और इस तथ्य का भी सत्यापन कर लें कि वह निर्णायक तारीख़ को सम्पन्न वर्ग का/की नहीं है । इस प्रयोजन से निर्णायक तारीख़, उन मामलों के सिवाय, अन्य सभी मामलों में किसी पद के लिए आवेदनों की प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि मानी जाए, जिनमें निर्णायक तारीख़ अन्यथा तय की गई हो ।

4. इस विभाग के दिनांक 10.05.1995 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/9/95-स्था. (एस.सी.टी.) द्वारा यह तय किया गया था कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्ति की पेशकश में, इस आशय का एक खण्ड जोड़ दिया जाए कि नियुक्ति अनन्तिम है और यह उम्मीदवार के अन्य पिछड़े वर्ग का होने की स्थिति का सत्यापन किए जाने और उसके सही पाए जाने की शर्त पर है । चूँकि आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे उम्मीदवारों को ही सुलभ है जो सम्पन्न वर्ग के नहीं हों, नियुक्ति की पेशकश में जोड़ा जाने वाला उपर्युक्त खण्ड, उम्मीदवार के सम्पन्न वर्ग का होने की स्थिति पर भी ध्यान दिए जाने की दृष्टि से आशोधित किया जाना आवश्यक है । अतः यह तय किया गया है कि नियुक्ति की पेशकश में, इस विभाग के दिनांक 10.05.1995 के कार्यालय-ज्ञापन में निर्धारित खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित आशोधित खण्ड शामिल किया जाए :

''नियुक्ति अनन्तिम है और यह उम्मीदवार के अन्य पिछड़े वर्ग के किसी समुदाय का होने के प्रमाण-पत्र का समुचित माध्यम से सत्यापन किए जाने पर, सही पाए जाने की शर्त पर है । यदि

.....3/-

उपर्युक्त सत्यापन से यह ज़ाहिर हुआ कि उम्मीदवार का अन्य पिछड़े वर्ग के होने अथवा सम्पन्न वर्ग के नहीं होने का दावा झूठा है तो कोई भी कारण बताए बिना उसकी सेवाएँ तुरंत समाप्त कर दी जाएँगीं और उसके द्वारा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अपराध के कारण, भारतीय दण्ड-संहिता के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी पूर्वाग्रह के बिना उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि वे इस कार्यालय-ज्ञापन में निहित अनुदेश-निदेश, जानकारी और अनुपालन हेतु अपने सभी अधीनस्थ प्राधिकारियों के ध्यान में ला दें।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
भारत-सरकार के उप सचिव
दूरभाषः 23092797

1. भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य-विभाग (बैंकिंग-प्रभाग), नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य-विभाग (बीमा-प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. लोक-उद्यम-विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेल-बोर्ड
6. संघ-लोक-सेवा-आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन-आयोग/लोक-सभा -सचिवालय/राज्य-सभा-सचिवालय/मंत्रिमण्डल-सचिवालय/ केन्द्रीय सतर्कता-आयोग/ राष्ट्रपति -सचिवालय/प्रधान मंत्री-कार्यालय/योजना-आयोग ।
7. कर्मचारी-चयन-आयोग, केन्द्रीय कार्यालय-परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता-मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति-आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
10. राष्ट्रीय पिछड़ा-वर्ग-आयोग, त्रिकूट-।, भीकाजी कामा प्लेस, रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली ।